

Online application NVS Portal Link पर प्रदर्शित किया जाने वाला संदेश

“जो छात्र/छात्राओं 01 जनवरी, 2020 तक 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं वे यदि मतदाता के रूप में पंजीकृत नहीं है तो www.nvsp.in पर ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं।

किसी भी सहायता हेतु टोल फ्री नं. 1950 पर संपर्क करें।”